



2026:AHC:36793-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या-2429/2026

मुकेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 6 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता:

शिखर त्रिवेदी

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 45

माननीय न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता,

माननीय न्यायमूर्ति अचल सचदेव,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित अनुतोष के लिए यह रिट याचिका दायर की है:-

(I) दिनांक 18.09.2025 को दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (मामला अपराध संख्या 267/2025) में धारा 123 और 103(1) बीएनएस के अंतर्गत आरोपी व्यक्तियों को गिरफ्तार करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, पुलिस स्टेशन-कबराई, जिला-महोबा, और साथ ही प्रत्यर्थी अधिकारियों को निष्पक्ष और तटस्थ जांच करने का निर्देश दिया जाए, ताकि मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाया जा सके।

(II) याचिकाकर्ता के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करने का निर्देश देने के लिए परमादेश के रूप में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए,

(III) इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझे जाने वाले कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए।

(IV) याचिकाकर्ता को याचिका की पूर्ण लागत प्रदान की जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता इस मामले में प्रथम सूचनादाता है और यद्यपि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट 18.09.2025 को दर्ज की गयी है किन्तु पुलिस निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से मामले की जांच

च नहीं कर रही है।

4. उपरोक्त को दृष्टि में रखते हुए, याचिकाकर्ता प्रत्यर्थी संख्या 2 - पुलिस अधीक्षक, महोबा के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत कर अपनी शिकायत को उजागर कर निष्पक्ष एवं तटस्थ जांच की मांग कर सकता है और यदि याचिकाकर्ता द्वारा ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है, तो प्रत्यर्थी संख्या 2 - पुलिस अधीक्षक, महोबा, इस मामले में निष्पक्ष, तटस्थ और शीघ्र जांच सुनिश्चित करेंगे।

5. उपरोक्त आदेश के साथ, वर्तमान रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(अचल सचदेव, न्यायमूर्ति) (राजीव गुप्ता, न्यायमूर्ति)

18 फरवरी, 2026

केएस

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”